बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं०सं०–9/आ0–05–20/2023(स्वा0) .... /पटना, दिनांक:–..

सिविल सर्जन, सिवान के पत्रांक–2556 दिनांक–23.12.2022 के द्वारा डॉ० जाफरान अली, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोरदा, मैरवा, सिवान के विरूद्ध दिनांक–08.09.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प सं०–314(9) दिनांक–31.03.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। विभागीय पत्रांक–1741(9) दिनांक–01.12.2023 द्वारा डॉ० अली से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी। जिसके आलोक में उनका प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ।

3. डॉ० अली द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित करने हुए अवगत कराया गया है कि वे स्वयं की अस्वस्थता के कारण दिनांक–08.09.2021 से लगातार कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहे है। स्वस्थ होने के उपरान्त पदस्थापित स्थान पर योगदान करने के संबंध में उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। विभागीय पत्रांक–836(9) दिनांक–09.08.2023 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें पदस्थापित स्थान पर योगदान करने का अनुरोध किया गया। सिविल सर्जन, सिवान के पत्रांक–1817 दिनांक–14.08.2023 के आलोक में पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त डॉ० अली द्वारा जो चिकित्सीय पर्ची उपलब्ध करायी गयी है उससे यह परिलक्षित नहीं होता है कि चिकित्सीय परामर्श के अनुसार उन्हें कार्य करने के लिए मना नहीं किया गया था। डॉ० अली द्वारा ईलाजरत रहते हुए आमजनों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती थी। डॉ० अली का कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहना बाध्यकारी नहीं था। फलतः डॉ० अली के विरूद्ध दिनांक–08.09.2021 से 14.08.2023 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयी प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–778(9) दिनांक–04.09.2024 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से उक्त दण्ड प्रस्ताव पर सहमति की माँग की गयी। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–115 दिनांक–08.04.2025 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

6. अतएव डॉ० जाफरान अली, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोरदा, मैरवा, सिवान के विरूद्ध दिनांक–08.09.2021 से 14.08.2023 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयी प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

18/06/2025

(15)

ज्ञापांकः–9 / आ0–05–20 / 2023(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–.........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, सिवान / कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9 / आ0–05–20 / 2023(स्वा0) 677(9) **/ पटना, दिनांकः–** 18.6.25

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सारण प्रमंडल, छपरा / सिविल सर्जन, सिवान / बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–115 दिनांक–08.04.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० जाफरान अली, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोरदा, मैरवा, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/06/2025

सरकार के अवर सचिव।